

क्रमांक :-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/03841/2020

जयपुर, दिनांक 31/9/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

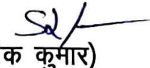
राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	2649	श्री जगजीत सिंह	कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ब्लॉक पदमपुरा, जिला-श्रीगंगानगर।	MCA-3 rd Year	Jaipur National University, Jaipur
2	956	श्री करण सिंह	राज.कॉम्प इन्फो सर्विसेज लि, सी. एस.सी.2.0 प्रोजेक्ट, जिला नागौर	MCA-3 rd Year	Jaipur National University, Jaipur
3	4218	सुश्री/श्रीमती ज्योति मुण्डोतिया	उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, झुन्झुनू।	MCA-2 nd year (Lateral Entry)	Jaipur National University, Jaipur
4	3367	श्री किशोर कुमार परिहार	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मारवाड़ जं, पाली	M.A.-1 st year (History)	Maharshi Dayanand Saraswati University Ajmer
5	Batch, 2018 (242450)	सुश्री कविता लोहार	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति, शेरगढ़, जिला-जोधपुर।	MCA 2 nd year	Jaipur National University, Jaipur
6	Batch, 2018 (315513)	श्री हरफूल चन्द मीणा	कार्यालय खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर	MCA-2 nd year	Jaipur National University, Jaipur
7	Batch, 2018 (317475)	श्री जितेन्द्र कुमार मीणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बकानी, झालावाड़।	BCA-1 st year	Jaipur National University, Jaipur
8	Batch, 2018 (297555)	श्री जितेश ग्रोवर	भामाशाह स्टेट डाटा सेन्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।	MCA-1 st year	Jaipur National University, Jaipur

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

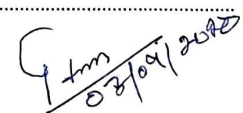
1. कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।


(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष.....।
2. कार्मिक.....।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।


प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)